भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 31**

05.12.2013 को उत्तर के लिए

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना हेतु पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करना

31. डा. नजमा ए. हेपतुल्ला:

**क्या** पर्यावरण और वन मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से खण्डवा जिले में मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी की प्राप्ति के लिए कोर्इ निवेदन प्राप्त हुआ है;**

**(ख) यदि हां, तो इस निवेदन की मौजूदा स्थिति क्या है और अब तक पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं; और**

**(ग) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण को पर्यावरणीय मंजूरी कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है?**

उत्तर

पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्रीमती जयंती नटराजन)

**(क) जी, हां ।**

**(ख) और (ग) मैसर्स एम.पी. पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड ने पुर्नि, जिला खाण्डवा, मध्य प्रदेश में 4x600 मेगावाट माल्वा ताप विद्युत परियोजना के लिए वर्ष 2007 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समक्ष पर्यावरणीय मंजूरी की प्राप्ति के लिए आवेदन किया था । पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अनुपालन में तत्कालीन उपलब्ध कोयला संपर्कता के आधार पर दिनांक 01.10.2008 को पर्यावरणीय मंजूरी केवल 2x600 मेगावाट के लिए प्रदान की गई थी । अब परियोजना प्रस्तावक ने सूचित किया है कि उन्हें परियोजना के चरण-।। के लिए एक कोयला ब्लॉक आबंटित किया गया है । परियोजना के चरण-।। के लिए पर्यावरणीय मंजूरी पर संबद्ध कोयला खान के लिए पर्यावरणीय मंजूरी और चरण-। वन मंजूरी प्राप्त किए जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है ।**

**\*\*\*\*\***